निवेदकः-

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उ०प्र०

मतदान दिवस से पूर्व जानने योग्य बातें

अपने बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को जानें

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदान केंद्र से संगत निर्वाचक नामावली के भाग को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर का प्रत्यक्ष दौरा करते हैं। प्रत्येक निर्वाचक को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बीएलओ, जो सामान्यतः उस इलाके का निवासी होता है, के संपर्क में रहें। निर्वाचक अपने बीएलओ के विवरण को मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और सक्षम–ईसीआई ऐप के माध्यम से जान सकते हैं।

अपने मतदान केंद्र को जानें

- मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से
- सक्षम-ईसीआई ऐप के माध्यम से
- voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके
- मतदाता हेल्पलाइन नं. १९५०

निर्वाचक नामावली में नाम खोजें

एपिक (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) रखना मतदान करने की आपकी हकदारी सुनिश्चित नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को अपना नाम निर्वाचक नामावली में होना अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचक नामावली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसे अब वर्ष में चार बार अपडेट किया जाता है। इसकी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों विधियों से जांच की जा सकती है।

- मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध)
- मतदाता पोर्टल पर जाएं https://voters.eci.gov.in/
- 1950 पर एसएमएस करें ECI<SPACE><EPIC No>
- सक्षम–ईसीआई ऐप (एंड्रॉइड)/सक्षम–ईसीआई ऐप (आईओएस)

वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवारों के बारे में जानें:

मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से:

चरण 1 मतदाता हेल्पलाइन ऐप पर लॉगिन करें

चरण 2 अभ्यर्थी सूचना विकल्प चुनें

चरण 3 निर्वाचन चुनें (विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निर्वाचन)

चरण 4 उम्मीदवार चुनें

चरण 5 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर क्लिक करें

केवाईसी ऐप के माध्यम से:

चरण 1 केवाईसी ऐप पर लॉगिन करें

चरण 2 निर्वाचन के प्रकार को चुनें (विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निर्वाचन

चरण 3 उम्मीदवार चुनें

चरण 4 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर क्लिक करें

चरण 5 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र के बारे में और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो, के बारे में सूचना प्राप्त करें।

मतदान केंद्र पर पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेज

- मतदाता पहचान पत्र (एपिक)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सेवा पहचान कार्ड
- एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड

मतदान प्रक्रिया

मतदाता कतार में खडा होता है

प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपके नाम तथा आपके पहचान के प्रमाण की जांच करता है

दूसरा मतदान अधिकारी आपकी उंगली के नाखून पर अमिट स्याही लगाता है, एक पर्ची देता है तथा आपके हस्ताक्षर लेता है

तीसरा मतदान अधिकारी पर्ची लेता है तथा आपके अंगुली के नाखून पर लगे निशान की जांच करता है

मतदाता पसंद के अभ्यर्थी/नोटा के सामने वोट करने के लिए ईवीएम पर बटन दबाता है, लाल रोशनी जल उठती है

महत्वपूर्ण नोट करें!

यदि आपको वीवीपैट में पेपर पर्ची न दिखे या तेज बीप की आवाज न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें

पर्ची शीशे से लगभग 7 सेकेंड के लिए दिखेगी मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित हो जाएगी

ईवीएम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप में इनमें से कोई नहीं (नोटा) उपलब्ध है।

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सुविधाएं:

- निर्वाचकों की सुविधा के लिए भू–तल पर मतदान केंद्र
- मतदान केंद्र पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं के तहत दिव्यांग–अनुकूल सुविधाएं (जैसेः ढाल और पर्याप्त हैंडरेल के साथ रैम्प)
- मतदान केंद्र पर एक पृथक कतार/प्रवेश में प्राथमिकता
- ईवीएम मशीनों पर ब्रेल
- कमजोर दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए आवर्धक लेंस/शीट
- मतदान केंद्र पर दिव्यांगता विशिष्ट मतदान स्वयंसेवक
- प्रवेश से लेकर वोटिंग कम्पार्टमेंट तक संकेतक, बाधारहित चौडा समतल मार्ग
- ब्रेल (लिपि) में मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस)/एपिक
- ब्रेल (लिपि) में डमी मतपत्र
- मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था
- मतदान दिवस पर उचित यातायात सुविधा
- फॉर्म–12घ के माध्यम से पोस्टल बैलेट सुविधा के विकल्प का लाभ उठाकर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान की सुविधा

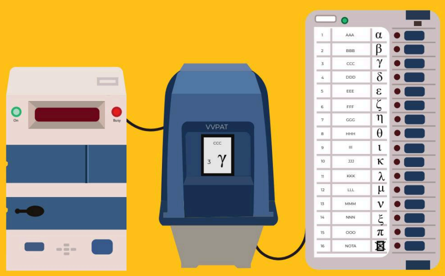

ईवीएम के माध्यम से अपना वोट डालना

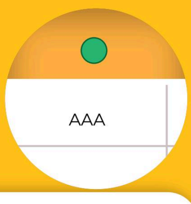

1. मतदान के लिए तैयार

जैसे ही आप वोटिंग कम्पार्टमेंट में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान अधिकारी बैलट यूनिट (बीयू) को चालू करेगा। बैलेट यूनिट की 'रेडी' लाइट जल उठेगी

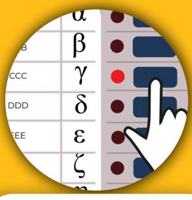

2. अपना वोट डालें

अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम/प्रतीक/नोटा विकल्प के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाएं लाइट देखें

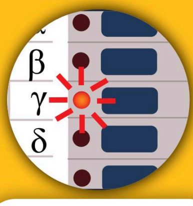

3. लाइट देखें

चुने गए अभ्यर्थी के नाम/प्रतीक नोटा विकल्प/के सामने लाल लाइट जल उठेगी

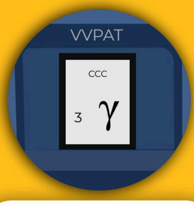

4. अपने वोट का सत्यापन करें

वीवीपैट मशीन चुने गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक/नोटा के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित करेगी

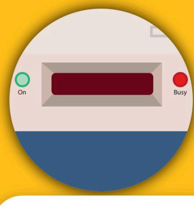

5. 'बीप' की आवाज सुनें

कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि होगी कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है

दिव्यांगजनों (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले) और वरिष्ठ नागरिक (८५ वर्ष से अधिक) के लिए घर पर मतदान सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को बाहर निकल कर अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए प्रोत्सानहित करता है। हालांकि, मतदाताओं के बीच, ऐसे मतदाता जो शारीरिक दिव्यांगता या अधिक उम्र के कारण मतदान केंद्र पर मत डालने में असमर्थ हैं, के लिए हाल के वर्षों में अनुपस्थित मतदाता (एवी) की संकल्पना लागू की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्वाचक को बेंचमार्क दिव्यांगता–युक्त व्यगक्ति या 85 वर्ष से अधिक का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। मतदान डाक मतपत्र द्वारा तथा सामान्य् मतदान तिथि से पहले किया जाएगा। बैलेट की पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा क्योंतकि रिटर्निंग अधिकारी को मतपत्र सुपुर्द किए जाने के लिए उसे दोहरे लिफाफों में सीलबंद किया जाएगा।

दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मत दर्ज करने के लिए पात्रता शर्तें

दिव्यांगजन (एवीपीडी): कोई निर्वाचक जो निर्वाचक नामावली डेटाबेस में चिह्नित है और जिसके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा यथा–प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विनिर्दिष्टक दिव्यांगता 40% से कम नहीं) है। फार्म 12घ में आवेदन प्रस्तुधत करते समय इस श्रेणी के निर्वाचक को इसके साथ बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्नम करनी है।

वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी): 85 वर्ष से अधिक की आयु के कोई भी निर्वाचक। आयु का उल्लेख निर्वाचक नामावली डेटाबेस में किया जाता है और निर्वाचक के लिए फार्म 12घ के साथ कोई अतिरिक्त। प्रमाणपत्र या शपथपत्र देना अपेक्षित नहीं होता है।